

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	चैत्र 6, रविवार, शाके 1933—मार्च 27, 2011 <i>Chaitra 6, Sunday, Saka 1933—March 27, 2011</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 2011

संख्या प. 2 (16)/विधि/2/2011.—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 9)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई]

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 75 का संशोधन.—राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 75 की उप-धारा (4) के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "लेखों की सांकेतिक संपरीक्षा कर सकेगा" के स्थान पर

अभिव्यक्ति "लेखों की संपरीक्षा कर सकेगा और ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखी जायेगी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

सत्य देव टाक,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, March 27, 2011

No. F. 2 (16) Vidhi/2/2011.— In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Panchayati Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011 (2011 Ka Adhiniyam Sankhyank 9):—

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ
(AMENDMENT) ACT, 2011**

(Act No. 9 of 2011)

[Received the assent of the Governor on the 25th day of March, 2011]

An

Act

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 75, Rajasthan Act No. 13 of 1994.—In the proviso of sub-section (4) of section 75 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), for the existing expression “test audit of such accounts”, the expression “audit of such accounts and such audit report shall be laid before the State Legislature by the State Government” shall be substituted.

सत्य देव टाक,

Principal Secretary to the Government.